

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्यालय से अगर कोई अधिवक्ता पेंशन योजना का सदस्य बनना चाहता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का ध्यान रखना है :-

(A) निम्नलिखित खरीदें :-

- (1) सबसे पहले पेंशन फार्म - A खरीदना होगा। इस फार्म का मूल्य रु. 25/- है।
- (2) बार कौंसिल का जरनल खरीदना होगा। इसका मूल्य रु. 1500/- प्रतिवर्ष है। इसे खरीदने के लिए रु. 1500/- बैंक ड्राफ्ट "**Jharkhand Bar Council Journal**" के नाम से बनाना होगा जो **payable at "Ranchi"** होगा।

(B) निम्नलिखित कागजात जमा करें:-

- (1) आयु के प्रमाण के लिये कोई एक (Matriculation Certificate, PAN Card, Passport, Driving License)
- (2) Jharkhand Bar Council Journal का Office Copy Form, जो जनवरी पार्ट के पीछे लगा हुआ है। Jharkhand Bar Council Journal लेने के लिए जिन अधिवक्ताओं का उम्र 70 वर्ष पूरा हो चुका है और जो पेंशन योजना का सदस्य बनना चाहते हों उन्हें दस वर्ष के Jharkhand Bar Council Journal का मूल्य रु. 15000/- का रकम एक मुश्त देना होगा। यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। बैंक ड्राफ्ट "**Jharkhand Bar Council Journal**" के नाम से तथा payable at "**Ranchi**" होगा।
- (3) एन्रोलमेंट सर्टिफिकेट
- (4) पेंशन योजना का सदस्य बनने हेतु Age wise Fee structure निम्नलिखित है:-

Groups	Age Limits	Amount payable i.e. one time payment (Life-subscription)
A	Up to 30 years of age	Rs. 10,000/- (Ten thousands only)
B	Beyond 30 years of age	Rs. 20,000/- (Twenty thousands only)
C	Senior designated Advocate	Rs. 25,000/- (Twenty Five thousand only)
D	Beyond 70 years of age including Senior designated Advocate	Rs. 45,000/- (Forty five thousand Only)
नोट:- यह रकम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। यह बैंक ड्राफ्ट " Jharkhand Advocates Pension Fund " के नाम से तथा payable at " Ranchi " होगा।		

नोट :- उपरोक्त रकम अधिकतम चार किश्तों के द्वारा भी चुकाई जा सकती है। चारों किश्त कुल शुल्क का कम से कम 25% हो पहला किश्त आवेदन के साथ तथा शेष अधिकतम छः-छः महीने के बाद जमा कर देना होगा।

कार्यालय का कार्य

- (1) फार्म जमा होने के बाद कार्यालय के द्वारा फार्म को त्रुटिरहित जांचा जाता है ताकि उसे त्रुटिरहित किया जाये।
- (2) इसके बाद उसे Chairman, Pension Committee के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- (3) Chairman, Pension Committee के ओदश करने के बाद आवेदक को पेंशन योजना का सदस्य बना लिया जाता है।
